

चक 4 ई बड़ी के खाता संख्या 54/25 की कृषि भूमि को पारिवारिक विभाजन एवं काश्त अनुसार विभाजन करने का अनुसार चाहा है तथा वादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त एवं पैतृक होने के ई-हस्ताक्षर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 चक 3 ई बड़ी सैकिण्ड संयुक्त खाता संख्या 26/26 मुरब्बा नम्बर 34, 52/3 कुल तादादी 4.555 है. नहरी मय खाला, ई-हस्ताक्षर जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 चक 4 ई बड़ी खाता संख्या 15/17 मुरब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 कुल तादादी 4.987 है. नहरी, ई-हस्ताक्षर जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 चक 4 ई बड़ी खाता संख्या 54/35 मुरब्बा नम्बर 14 की 1.974 है. प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 मय विरास्त नामान्तरण संख्या 600 दिनांक 07/03/2017 चक 3 ई बड़ी सैकिण्ड, प्रमाणित प्रति विरास्त नामान्तरण संख्या 695 दिनांक 17/02/2022 चक 3 ई बड़ी सैकिण्ड, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 मय विरास्त नामान्तरण संख्या 385 दिनांक 07/03/2017 चक 4 ई बड़ी, प्रमाणित प्रति विरास्त नामान्तरण संख्या 446 दिनांक 17/02/2022 चक 4 ई बड़ी तथा प्रमाणित प्रति जोत विभाजन नामान्तरण संख्या 173 चक 4 ई बड़ी के दस्तावेजात के साथ साथ सम्पति विरास्त होने का शपथ पत्र भी पेश किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है।

आर.आर.डी 1981 पेज 512 आर.टी.ए की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी 1966 पेज 71, ए.आई.आर 1976 (एस.सी) पेज 807 व 178, आर.आर.डी पेज 219 आर.आर.डी 1975-478, ए.आई.आर 1966 (एस.सी0) 432, आर आरडी 1975 पेज 489 की नजीरो में आर.टी.ए की धारा 53 की व्याख्या करते हुए आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

—:: आदेश ::—

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 3 ई बड़ी सैकिण्ड के खाता संख्या 26/26 व चक 4 ई बड़ी के खाता संख्या 15/17, चक 4 ई बड़ी के खाता संख्या 54/25 की कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन घोषित किया जाता है :-

चक 3 ई बड़ी IInd तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 34, 52/3 की कुल 4.555 है. [4.327 है. नहरी + 0.228 है. खाला] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 14/2(0.064 है.), 15(0.126 है. [दक्षिणी हिस्सा]), 16/1(0.101 है.), 16/2(0.089 है.), 17, 18, 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.645 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/3 की 0.127 है. खाला = 1.772 है. [1.645 है. नहरी + 0.127 है. खाला] अशोक पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तह.व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 54/35 के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 1.974 है. नहरी कृषि भूमि में से 2(0.253 है.), 3(0.253 है.), 13(0.146 है. [उत्तरी हिस्सा]), 8(0.253 है.) = 0.905 है. नहरी अशोक पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुरब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है. [4.872 है. नहरी + 0.013 है. गै.मुरास्ता + 0.102 है. खाला] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1(0.095 है. [पूर्वी हिस्सा]), 10/1 (0.108 है. [पूर्वी हिस्सा]) कुल 0.203 है. नहरी अशोक पुत्र श्री नत्थुराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।



चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुर्ब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है। [4.872 है नहरी + 0.013 है गै.मु.रास्ता + 0.102 है खाला] कृषि भूमि में से मुर्ब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.265 है नहरी, मुर्ब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 (0.228 है), 2 (0.228 है), 9, 10, 11, 12 (प्रत्येक में 0.253 है), 13/1 (0.127 है), 14/1 (0.126 है), 17, 18, 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है) = 2.733 है नहरी, मुर्ब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 2 (0.228 है), 3/1 (0.127 है), 8/1 (0.051 है) = 0.406 है नहरी, मुर्ब्बा नम्बर 52/1 की 0.026 है खाला, मुर्ब्बा नम्बर 52/11 की 0.025 है खाला, मुर्ब्बा नम्बर 52/21 की 0.051 है खाला कुल 4.506 है [4.404 है नहरी + 0.102 है खाला] राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फत्तुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

चक 3 ई बड़ी IInd तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 26/26 के मुर्ब्बा नम्बर 34, 52/3 की कुल 4.555 है [4.327 है नहरी + 0.228 है खाला] कृषि भूमि में से मुर्ब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 4 (0.202 है), 5 (0.228 है), 6 (0.253 है), 7 (0.228 है) = 0.911 है नहरी मुर्ब्बा नम्बर 52/3 की 0.101 है खाला दोनों मुर्ब्बों की कुल 1.012 है [0.911 है नहरी + 0.101 है खाला] राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फत्तुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुर्ब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है [4.872 है नहरी + 0.013 है गै.मु.रास्ता + 0.102 है खाला] कृषि भूमि में से मुर्ब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 (0.025 है, पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार दिए गए 0.102 है भूमि छोड़कर), 1 (0.006 है, पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार को दिए गए 0.102 है भूमि छोड़कर उत्तरी हिस्सा बट से चिपता), 10/1 (0.025 है, पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार को दिए गए 0.107 है भूमि को छोड़कर), 10/2 (0.013 है गै. मु. रास्ता) कुल 0.069 है [0.056 है नहरी + 0.013 है गै. मु. रास्ता] राकेश कुमार, अशोक कुमार, राजेन्द्र कुमार पिसरान नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फत्तुही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) बहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतू स्टाम्प प्रस्तुत किसे जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि का उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैर मुमकीन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 19/5/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(Order 20 rule 6-7CPC)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- संजय कुमार, आर.ए.एस
अनवान :- राजस्व वाद प्रकरण संख्या/2023

वादीगण :-

1. राकेश कुमार पुत्र श्री नत्थूराम उम्र 46 वर्ष
 2. अशोक कुमार पुत्र श्री नत्थूराम उम्र 38 वर्ष
- जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

-: बनाम -:

प्रतिवादीगण :-

- (1). राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
- (2). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

राजस्व वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53-88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से विजय कुमार भाटी, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :-

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 3 ई बड़ी सैकिण्ड के खाता संख्या 26/26 व चक 4 ई बड़ी के खाता संख्या 15/17, चक 4 ई बड़ी के खाता संख्या 54/25 की कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन किया जाकर पक्षकारान को निम्न प्रकार खातेदार घोषित किया जाता है :-

चक 3 ई बड़ी IInd तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 34, 52/3 की कुल 4.555 है। (4.327 है. नहरी + 0.228 है. खाला) कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 14/2(0.064 है.) 15(0.126 है. (दक्षिणी हिस्सा)), 16/1(0.101 है.), 16/2(0.089 है.), 17, 18, 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.645 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 52/3 की 0.127 है. खाला = 1.772 है। (1.645 है. नहरी + 0.127 है. खाला) अशोक पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 54/35 के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 1.974 है. नहरी कृषि भूमि में से 2(0.253 है.), 3(0.253 है.), 13(0.146 है. (उत्तरी हिस्सा)), 8(0.253 है.) = 0.905 है. नहरी अशोक पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुरब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है। (4.872 है. नहरी + 0.013 है. गै.मुरास्ता + 0.102 है. खाला) कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1(0.095 है. (पूर्वी हिस्सा)), 10/1 (0.108 है. (पूर्वी हिस्सा)) कुल 0.203 है. नहरी अशोक पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील श्रीगंगानगर की घोषित की जाती है।

.....2...लगाता

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर



चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुरब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है। [4.872 है नहरी + 0.013 है गै.मु.रास्ता + 0.102 है खाला] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है) = 1.265 है नहरी, मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 (0.228 है), 2 (0.228 है), 9, 10, 11, 12 (प्रत्येक में 0.253 है), 13/1 (0.127 है), 14/1 (0.126 है), 17, 18, 19, 20 (प्रत्येक में 0.253 है) = 2.733 है नहरी, मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 2 (0.228 है), 3/1 (0.127 है), 8/1 (0.051 है) = 0.406 है नहरी, मुरब्बा नम्बर 52/1 की 0.026 है खाला, मुरब्बा नम्बर 52/11 की 0.025 है खाला, मुरब्बा नम्बर 52/21 की 0.051 है खाला कुल 4.506 है [4.404 है नहरी + 0.102 है खाला] राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नथूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

चक 3 ई बड़ी IInd तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 34, 52/3 की कुल 4.555 है [4.327 है नहरी + 0.228 है खाला] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 4 (0.202 है), 5 (0.228 है), 6 (0.253 है), 7 (0.228 है) = 0.911 है नहरी मुरब्बा नम्बर 52/3 की 0.101 है खाला दोनों मुरब्बों की कुल 1.012 है [0.911 है नहरी + 0.101 है खाला] राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नथूराम जाति जाट निवासी शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की घोषित की जाती है।

चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 के संयुक्त खाता संख्या 15/17 के मुरब्बा नम्बर 12, 27, 29, 52/1, 52/11, 52/21 की कुल 4.987 है [4.872 है नहरी + 0.013 है गै.मु.रास्ता + 0.102 है खाला] कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 (0.025 है [पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार दिए गए 0.102 है भूमि छोड़कर]), 1 (0.006 है [पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार को दिए गए 0.102 है भूमि छोड़कर उत्तरी हिस्सा बट से चिपता]), 10/1 (0.025 है [पश्चिमी हिस्सा की बट से राकेश कुमार को दिए गए 0.107 है भूमि को छोड़कर]), 10/2 (0.013 है गै. मु. रास्ता) कुल 0.069 है [0.056 है नहरी + 0.013 है गै. मु. रास्ता] राकेश कुमार, अशोक कुमार, राजेन्द्र कुमार पिसरान नथूराम जाति जाट निवासीय शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) बहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकें अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आवेदन किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलावा अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये शून्य वास्ते शून्य खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय पर मय ब्याज शून्य दर वार्षिक शून्य आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

यहकि डिक्री आज दिनांक 19/5/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक जिला मजिस्ट्रेट
कार्यालय सहायक जिला मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर